भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0– 228A/2017–18

1.बुरुजू भूमिज 2. रुईदास भूमिज बनाम सुरेन्द्र सोय

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
30-05-18	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, कुचाई के पत्रांक 259 दिनांक 04.05.2018 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 228A/2017–18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. बुरजू भूमिज पिता स्व0 सोयना भूमिज 2. रुईदास भूमिज पिता स्व0 बुधन लाल भूमिज, ग्राम–बड़ासेगोई, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावाँ ने हल–बैल खरीदने हेतु क्रेता सुरेन्द्र सोय पिता स्व0 दांसर सोय, ग्राम–मरांगहातु, थाना–कुचाई, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
मारांगहातु	16	84	777	0.76ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता नं0–1 स्वंय खतियानी रैयत है एवं विक्रेता नं0–2 के पिता एवं अन्य के नाम से खतियान में दर्ज है। विक्रेता अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहते है। आवेदकों के हिस्से में 6.92 एकड़ जमीन है, जिसमें से 0.76 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् 6.16 एकड़ भूमि बचता है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना, जाति 'मुण्डा' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.76एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

30/05/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner